

अदालत.....

सहायक कलेक्टर (SDO)

मुकाम.....

बनाम.....

राफू (दा)

बाबू सिंह कोठ

किस्म मुकदमा

राफू अपील नं. 111/128

नं. 263 सन 2019

RLR Act-

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
7.8.19	<p>प्राथी/वादी/अपीलांट के वकील श्री यू. नारायण</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111/128 RLR</p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्राथी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 30/9/19 को पेश हो।</p>	
30/09/19	<p>प्राथी व वकील उपरोक्त/ विप्राथी/प्रतिवादी को नोटिस तामील फाइल तामील फाइल/इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 30/10/19 को पेश हो।</p>	<p>सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु जिला - बाड़मेर</p>
30/10/19	<p>पत्रावली प्राप्त पेश हुई। वकूलाय सकारात्मक जवाब/विचार/अधि कारी शिफारिशों में वसत है। मिसल इत्यादी होकर दिनांक 24/12/19 का पेश हो।</p>	
24/12/19	<p>पत्रावली प्राप्त पेश हुई। वकूलाय सकारात्मक जवाब/विचार/अधि कारी शिफारिशों में वसत है। मिसल इत्यादी होकर दिनांक 17/02/2020 का पेश हो।</p>	
17/02/2020	<p>पत्रावली प्राप्त पेश हुई। वकूलाय सकारात्मक जवाब/विचार/अधि कारी शिफारिशों में वसत है। मिसल इत्यादी होकर दिनांक 19/05/2020 का पेश हो।</p>	

19/04/2020

प्राची वकील उपस्थित / विप्राश्रीगण अनुपस्थित /
श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त
को पेश हो /
दिनांक 07/04/2020

07/04/2020

प्राची वकील उपस्थित / विप्राश्रीगण अनुपस्थित /
श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त
को पेश हो /
दिनांक 15/04/2020

15/04/2021

प्राची वकील उपस्थित / विप्राश्रीगण अनुपस्थित /
श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त
को पेश हो /
दिनांक 11/08/2021

11/08/2021

प्राची वकील उपस्थित / विप्राश्रीगण अनुपस्थित /
श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त
को पेश हो /
दिनांक 06/10/2021

06/10/2021

प्राची वकील उपस्थित / विप्राश्रीगणों के
नोटिस शामिल शुद्धा प्राप्त जिन शामिल फावली
किमा गमा / श्रीमान पीठासीन अधिकारी
प्रशासन गांवों के संगु खेतिमान: 2021
कम्पों में अस्त होने से मिशाल इस्तवा
होकर डागामी दिनांक 25/05/2022 को पेश हो

25/05/2022

प्राची वकील उपस्थित / विप्राश्रीगणों के
नोटिस शामिल शुद्धा प्राप्त जिन शामिल फावली
किमा गमा / विप्राश्रीगण लाकनूद शामिल अनुपस्थित /
आवाज लगाने लगे हैं, आवाज लगाई गई है, इन्फो
आवाज 5.45 PM लगाई गई, विप्राश्रीगण स्वयं

सहायक कलेक्टर (S.D.)
बायतु
जिला - बाड़मेर

अ हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

30/05/2022

भा. उत्की डोर से कोई अधिवक्ता उपस्थित
नहीं हुआ। लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध
एक्टरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।
अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक
30/05/2022 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायत

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगणों के
नोटिस तामील इदम तामिल प्राप्त (प्रार्थी
वकील बहस आरम्भ करना चाहते हैं।
पत्रावली इन्तजार होकर दिनांक
23/06/2022 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायत
जिला - ब.

23/06/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल
अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के
अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के
खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों
के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो
वर्तमान में आधियों की वजह से बिखर गए हैं जिससे प्रार्थी
एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा
विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की
सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी
आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार
किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का
नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को
कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि
आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के
खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क
जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल
पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो,
दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायत

जिला - ब.

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 1057

दिनांक : 23/06/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. गफूरखा पुत्र रिडमलखा वगैरा 09,
जाति मूलसमान, निवासी फतेनगर,
पटवार मण्डल जाजवा,
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

1. बाबुसिंह पुत्र भीमसिंह वगैरा 32,
जाति राजपुत, निवासी कानोड़,
पटवार मण्डल जाजवा,
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 263/2019

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - फतेनगर, पटवार मण्डल - जाजवा, तहसील - गिड़ा, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 270 रकबा 97.06 बीघा भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद / 2022 / 1058 - 62

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का जाजवा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री गफूरखा पुत्र रिडमलखा वगैरा 09,
4. विप्रार्थी श्री बाबुसिंह पुत्र भीमसिंह वगैरा 32,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

सहायक कलेक्टर (SDO)

(जगदीश सिंह आशिया)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 23/06/2022

सहायक कलेक्टर (SDO)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

जिला - बाड़मेर